



NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED
(A Govt. Of India Enterprises)
Uttarakhand Zonal Office Dehradun

पत्रांक सं० 22/UKZ/PMGSY/2020.

दिनांक: 09.09.2020

सेवा में,
श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग

विषय: जनपद चमोली में पी० एम० जी० एस० वाई० के अंतर्गत नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.3975 हे० वन भूमि का हस्तांतरण

संदर्भ: 8वी/यू.पी.सी/06/67/2020/एफ.सी./652 dated 17/07/2020

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर पायी गई इंगित आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।

Pointwise replies of EDS dated 17.07.2020 for the proposal no. FP/UK/ROAD/38448/2019

S.No	EDS	REPLY
1.	CA area Proposed in degraded forest area. Details may be removed from Para-L in Part-I which is designated for Non forest land . State govn. may review the same and provide the correct details in this regard.	The correction is made on Para-L in Part-I.
2.	As Per DSS analysis 1 ha area found in MDF. State govn. May replace 1 ha area with some other suitable area.	The correction is made and related document is uploaded .
3.	As per tree enumeration list, total affected trees are 54 out of which 45 trees in forest area and 9 trees are in non forest area but details of 54 trees found uploaded in Part-II para-4. State govn. May clarify the discrepancy and submit upload the correct information.	This point is to be replied by DFO, Badrinath Van Prabhag.
4.	Name of CA area mentioned in para-13 in Navali-5 compartment no.-2 but in CA scheme it is mentioned as compartment no. 1 and in CA suitability certificate compartment no. 11. State govn. May clarify the discrepancy and submit /upload the correct information.	The correction is made in para-13 and CA scheme and CA suitability certificate and related document is uploaded .
5.	उपरोक्त के अतिरिक्त	
(i)	KML file पर अलग रंग से जाखनी लिंक रोड दर्शाया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रस्तावित रोड है अथवा नहीं। राज्य सरकार इस संबंध में स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करे।	प्रस्तावित मोटर मार्ग बिजार से होते हुए कुछ दूरी पर दो भागों में विभाजित हो रहा है, जिसमें एक भाग जाखणी एवं दूसरा भाग कांडा तक प्रस्तावित है। कांडा गांव के विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा के लिए जाखनी एवं बिजार



Zonal Office : 98, Nehru colony, Dalanwala, Dehradun, Uttarakhand 248001 , mail: npcchowd@gmail.com Tel No 0135-2675725

		स्थित प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु विजार स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय पर निर्भर रहना पड़ता है और वर्तमान समय में इन स्कूलों तक पहुंचने का एकमात्र साधन पैदल मार्ग है। मोटर मार्ग बनने से कांडा गांव से स्कूल की पहुंच आसान हो जाएगी। एवं उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं हेतु जिला मुख्यालय या अन्य जगह जाने के लिए भी सुगमता होगी। इस मार्ग के समरेखण से न्यूनतम वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों एवं जनता की सहमति से उक्त समरेखण का निर्धारण किया गया है जो भूगर्भ वेता द्वारा भी उपयुक्त पाया गया है।
(ii)	प्रस्तावित मोटर मार्ग एक नदी को cross कर रहा है। अतः पुल निर्माण की भी आवश्यकता रहेगी। राज्य सरकार उसका भी विवरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा component wise विवरण में इसे सम्मिलित किया जाए।	उपरोक्त प्रस्ताव में केवल मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के चैनैज 0/6 पर पुल का निर्माण अलग से PWD, PMGSY खंड कर्णप्रयाग द्वारा प्रस्तावित है। जिसकी लंबाई 54 m है एवं प्रस्तावित मोटर मार्ग के जाखणी गांव की ओर जाने वाली लिंक रोड के अंतिम छोर पर एक गधेरा पड़ता है जो बरसात के मौसम में पानी से भर जाता है। उस गधेरे पर वर्ल्ड बैंक गौचर द्वारा एक पैदल पुल प्रस्तावित है। पुल को component wise विवरण में सम्मिलित कर अपलोड कर दिया गया है।

संलग्न: यथोपरि !

भवदीय


उपप्रबंधक
 उत्तराखंड जोन
 एन. पी.सी.सी.

प्रतिलिपि

2) जोनल मैनेजर, एन पी सी सी, उत्तराखंड जोन, देहरादून

प्रारूप

परियोजना का आनलाइन प्रस्ताव सं०-FP/UK/Road/38448/2019

परियोजना का नाम: नंदप्रयाग घाट कि०मी० 15 से जाखणी तक मोटर मार्ग निर्माण

परियोजना का क्षेत्रफल (हे० में)- 2.3975 हे०

वन प्रभाग का नाम- बद्रीनाथ वन प्रभाग

प्रमाणित किया जाता है कि इस वन प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र पूर्वी पिंडर, रेंज देवाल के अंतर्गत आरक्षित अवनत वन भूमि नवाली पंचम क० नं० 2 में 4.795 हे० वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। परंतु आपके द्वारा डी०एस०एस० अनालिसिस में 1 हे० स्थल एम० डी० एफ० पाया गया। उक्त 4.795 हे० क्षेत्र का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19-8-2028 को स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त क्षेत्र में कुछ स्थान पर झाड़ीनुमा (लैण्टाना, कालावांसा, आदि प्रजाति की झाड़ियां) हैं। जो कि छितरे हुए हैं जिस कारण घनत्व अधिक परिलक्षित हो रहा है। परन्तु वास्तव में उक्त क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छादित नहीं है। क्षेत्र झाड़ीनुमा व रिक्त है।

अतः उक्त 4.795 हे० क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
पूर्वी पिंडर रेंज क्षेत्र देवाल
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
(चमोली) गोपेश्वर

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयोगिता प्रमाण पत्र

परियोजना का ऑनलाइन प्रस्ताव सं०- FP/UK/Road/38448/2019

परियोजना का नाम:- नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से जाखणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना का क्षेत्रफल है० में:- 2.3975 है०

वन प्रभाग का नाम:-बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु चिन्हित नवाली पंचम क०न० 02 में 4.795 है० अवनत आरक्षित वन भूमि स्थल क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्त है।


वन क्षेत्राधिकारी
गर्गी पिण्डर वन क्षेत्र देवाल
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर


प्रभागीय वनधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

प्राक्कलन बावत:- जनपद धर्मोली में पी० एम० जी० एस० वाई० के अंतर्गत नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.3975 हे० वन भूमि का हस्तांतरण

2- वृक्षारोपण स्थल का नाम:- नवाली पंचम क० नं० 2

3-क्षेत्रफल :- परियोजना का क्षेत्रफल $X2 = (2.3975 \times 2) = 4.795$ हे०

4- रोपित किए जाने वाले कुल पौधों की संख्या (कुल क्षेत्रफल $\times 2000$) = 9590 पौधे

5- रोपित किए जाने वाली प्रजातियाँ बाँज , काफल, अखरोट, आदि

क्र०सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०) प्रति	योग
1	2	3	4	5	6
1	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य :-				
1	सर्वे एवं सीमांकन	4.795	हे०	115	551.425
2	स्थल सफाई कार्य	4.795	हे०	3730	17885.35
3	दीवालबंदी कार्य/ फैसिंग (150मी० प्र० हे० = 81घ० मी० @ 477 /- घ० मी० 1800x0.45x1.20	4.795	हे०	38637	185264.415
4	गड्ढा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45) रेखांकन चूना सहित	9590	गड्ढे	7.95	76240.5
5	डी०ए०पी० खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गड्ढा	239.75	किग्रा०	12.5	2996.875
6	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)	9590	पौधे	6.2	59458
7	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10 हे०) के आधार मानते				
	1-वनस्पतिक चैकडैम $15 \times 6725 = 100875.00$	4.795	हे०	59607	285815.565
	2- स्टोन चैकडैम $40 \times 6725 = 269000.00$				
	3-वाटर हरवैस्टिंग टैंक $(3 \times 2.5 \times 10) 30 \times 7540 = 226200.00$				
	योग = 596075.00				
9	निरीक्षण बटिया बनाना	4.795	हे०	915	4387.425
	योग - प्रथम चरण :-				632599.555
2	द्वितीय वृक्षारोपण कार्य				
1	सूखी घास व ज्वलनशील पदार्थ हटाना	4.795	हे०	5000	23975
2	गड्ढा भरान कार्य डी०ए०पी मिलाने सहित	9590	गड्ढे	1.42	13617.8
3	डी०ए०पी० मिलाने सहित व क्रय	9590	पौधे	1.42	13617.8
4	पौध डलान कार्य	9590	पौधे	9	86310
5	पौध रोपण कार्य	9590	पौधे	2.77	26564.3
6	पौधों की प्रथम नियर्ई — गुड़ाई एवं मलचिंग कार्य	9590	पौधे	1.89	18125.1
7	पौधों क द्वितिया नियर्ई — गुड़ाई एवं मलचिंग कार्य	9590	पौधे	1.63	15631.7
8	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	9590	पौधे	1.8	17262
9	वाचर/ चौकीदार प्रथम वर्ष रोपण वर्ष) 7 महा	4.795	हे०	685	22992.03
10	साईन बोर्ड आदि क्रय	4.795	ल० स०	3500	16782.5
11	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के वाक 4.00 मी० पट्टी साफ करना	4.795	ल० स०	3000	14385
	योग द्वितीय चरण :-				269263.23
3	तृतीय वर्ष 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (वीटिंग अप) प्रती हे०				
1	पौध की लागत	959	पौधे	8	7672
2	पौध डलान कार्य	959	पौधे	9	8631

1	2	3	4	5	6
3.	पूतः गड्ढा खोदना एवं रोपण कार्य	959	पीछे	4.40	4219.60
4.	गड्ढो मे गोबर खाद डालना लागत सहित	959	पीछे	1.93	1870.05
5.	पीछो वी शीतकालीन मलधिग	959	पीछे	1.63	1563.17
6.	वनीकरण चौकीदार (12 माह) 1 वर्ष	4.80	हे0	685.00	39414.90
7.	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य		ल0स0	2000.00	9590.00
	योग तृतीय चरण :-				72960.72
(4)	चतुर्थ वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	4.7950	हे0	685	39414.90
2.	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य		ल0स0	2000	9590.00
	योग चतुर्थ चरण :-				49004.90
(5)	पंचम वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	4.7950	हे0	685.00	39414.90
2.	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य		ल0स0	2000	9590.00
	योग पंचम चरण :-				49004.90
(6)	सष्ठम वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	4.7950	हे0	685.00	39414.90
2.	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य		ल0स0	2000.00	9590.00
	योग सष्ठम् चरण :-				49004.90
(7)	सप्तम वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	4.7950	हे0	685.00	39414.90
2.	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य		ल0स0	2000.00	9590.00
	योग सप्तम् चरण :-				49004.90
(8)	अष्ठम् वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	4.7950	हे0	685.00	39414.90
2.	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य		ल0स0	2000.00	9590.00
	योग अष्ठम् चरण :-				49004.90
(9)	नवम् वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	4.7950	हे0	685.00	39414.90
2.	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य		ल0स0	2000.00	28770.00
	योग नवम् चरण :-				68184.90
(10)	दशम् वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	4.7950	हे0	685.00	39414.90
2.	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य		ल0स0	2000.00	9590.00
	योग दसम् चरण :-				49004.90
	सम्पूर्ण योग:-				1337037.80

प्रभागीय वन्याधिकारी
रुपिनाथ वन प्रभाग, गोपेस्वरा

वन क्षेत्र अधिकारी
पूर्वी पिण्डर रेंज देवाल
बद्रीनाथ वन प्रभाग

परियोजना का नाम -जनपद चमोली में पी० एम० जी० एस० वाई० के अंतर्गत नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.3975 हे० वन भूमि का हस्तांतरण

मोटर मार्ग का निर्माण किया जाने का औचित्य

जनपद चमोली में पी० एम० जी० एस० वाई० के अंतर्गत नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर स्टेज प्रथम के निर्माण में आने वाली वनभूमि (2.3975 हे०) प्रस्तावित है जिसका ऑनलाइन प्रपोजल संख्या FP/UK/Road/38448/2019 है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम जाखणी, बिजार एवं कांडा (जाखणी ग्राम के अन्तर्गत एक टोक) के 930 की आबादी लाभान्वित होगी। उपरोक्त परियोजना की स्वीकृति शासनादेश सं० 5610/पी०3-14(hab)/यू०आर०आर०डी०/18 दिनांक 31-01-2018 के द्वारा प्राप्त हुई है। जनपद चमोली में पी० एम० जी० एस० वाई० के अंतर्गत नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग स्टेज - I के नव निर्माण की वास्तविक लम्बाई 4.325 कि०मी० आ रही है। इस मार्ग में ग्राम जाखणी, बिजार एवं कांडा (टोक) जुड़ रहे हैं (जो कि KML फ़ाइल पर अंकित किया गया है)।

उक्त मोटर मार्ग नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि०मी० 15 बिजार होते हुए कुछ दूरी पर दो भागों में विभाजित हो रहा है, जिसमें एक भाग जाखणी एवं दूसरा भाग कांडा (टोक) तक प्रस्तावित है। मोटर मार्ग में 2.3975 हे० वन भूमि एवं .836 हे० नाप खेत प्रभावित हो रहे हैं, प्रथम गांव बिजार है जिसमें कुल 225 लोग निवास करते हैं (ऑनलाइन अपलोड के एमएल पर दर्शाया गया है) दूसरे गांव कांडा एवं जाखणी है जिनकी जनसंख्या क्रमशः 60 एवं 625 की है । जाखणी ग्राम को जोड़ने हेतु प्रस्तावित मोटर मार्ग के 0.725 km से लिंक रोड प्रस्तावित किया गया है।

बिजार गांव में एक प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाईस्कूल है एवं जाखणी में एक प्राथमिक विद्यालय है जो कि निकटतम विधान सभा एवम लोकसभा पंचायती चुनावों के वोटिंग सेंटर भी है। कांडा गांव के विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा के लिए जाखणी एवं बिजार स्थित प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु बिजार स्थित जूनियर हाईस्कूल पर निर्भर रहना पड़ता है और वर्तमान समय में इन स्कूलों तक पहुंचने का एकमात्र साधन पैदल मार्ग है। मोटर मार्ग बनने से कांडा गांव से स्कूल की पहुंच आसान हो जाएगी। इस मार्ग के बनने से जाखणी, बिजार एवं कांडा ग्राम के निवासियों को उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं हेतु जिला एवं ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंच आसान हो जाएगी । साथ ही साथ कृषकों को अच्छे खाद , बीज कीटनाशक हेतु चम्पावत में अच्छे एवं उचित मूल्य में क्रय तथा फसल, फल एवं सब्जी इत्यादि को उचित मूल्य पर विक्रय किया जा सकता है जिससे रोजगार सृजन होगा एवं जीविकोपार्जन की बेहतर सुविधाएं प्राप्त होगी।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है, उक्त क्षेत्र दुर्गम होने तथा मानसून सत्र (वर्षाकाल) में आपात चिकित्सा के समय क्षेत्र में मोटर मार्ग न होने से राहत-बचाव कार्य भी समय से नहीं हो पाता है। उक्त क्षेत्र में मोटर मार्ग न होने से समस्त क्षेत्र विकास में बहुत पिछड़ा है, तथा वहाँ बसी जनसंख्या का ना ही सामाजिक एवम आर्थिक उत्थान हो पाया है। सामान्य दैनिक कार्यों व खाद्य सामग्री इत्यादि हेतु ग्रामीणों को पैदल दूरी तय कर घाट ब्लॉक से क्रय करके भारी बोझ को सिर पर अथवा पीठ पर लेकर जाना पड़ता है, अस्वस्थ व्यक्तियों तथा महिलाओं के प्रसव आदि की स्थिति में मोटर मार्ग न होने के कारण समय पर चिकित्सा का लाभ नहीं मिल पाता है, जिससे जन-हानी की संभावना बनी रहती है। स्थानीय ग्रामीण वासियों के अनुसार मोटर मार्ग की सुविधा न होने के कारण

महिलाओं को प्रसव आदि के लिए ले जाते समय कतिपय महिलाओं द्वारा रास्ते में ही दम तोड़ दिये हैं, इसलिए उक्त मोटर मार्ग का निर्माण जनहित में किया जाना अतिआवश्यक है।

अतः उक्त परियोजना से ग्राम जाखणी, बिजार एवं कांडा (तोक) को संयोजित कर कुल 930 (जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार) की आबादी मोटर मार्ग से लाभान्वित किया जाना है, ताकि रोजगार हेतु ग्रामवासियों के पलायन को रोका जा सके एवम उपरोक्त मार्ग बन जाने से उचित माध्यम एवम रोजगार स्रोत प्राप्त हो सके तथा पलायन की संभावना निम्न हो सकेगी। इसलिए उपरोक्तानुसार अनुरोध है कि जनहित में प्रस्तावित मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु अग्रसारित करने का कष्ट करे।

भवदीय



उपप्रबंधक

उत्तराखंड जोन

एन. पी.सी.सी.